

स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण

प्रलिस के लयि:

ओबीसी आरक्षण, शहरी स्थानीय निकाय ।

मेन्स के लयि:

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का महत्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दसिंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लयि 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की ज़मिमेदारी पछिड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है ।
- महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई थी । दसिंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के लयि एक समान आदेश पारति किया, जिसमें ओबीसी सीटों को तीन-परीक्षण मानदंडों (जैसा कि 2010 के फैसले में कहा गया है) का पालन करने में वफिल रहने पर सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचति किया गया था ।
 - इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक आवेदन किया है, जिसमें राज्य में 51% ओबीसी आबादी होने का दावा किया गया है ।

- The apex court's latest order in *Rahul Ramesh Wagh v. State of Maharashtra & Ors.* makes it mandatory that the principles laid down by the Supreme Court for providing reservation to OBCs in local bodies shall be followed across the country.
- A five-judge Constitution Bench in the *K. Krishnamurthy (Dr.) v. Union of India (2010)* judgment said that barriers to political participation are not the same as barriers to education and employment. Though reservation to local bodies is permissible, the top court declared that the same is subject to three conditions: 1) to set up a dedicated Commission to conduct empirical inquiry into the nature of the backwardness in local bodies, 2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body-wise 3) such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved for SCs/STs/OBCs taken together.
- Maharashtra had constituted a Commission to ascertain the backwardness of OBCs in June 2021. But without waiting for an empirical report, an ordinance was promulgated to amend the Maharashtra Zilla Parishads Act, Panchayat Samitis Act and the Maharashtra Village Panchayat Act so as to conduct local body elections with OBC reservation. This was struck down by the Supreme court.



प्रमुख बंदि

प्रमुखभूमि:

- मार्च 2021 में SC ने राज्य सरकार को तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी आबादी से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को नरिदषिट करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संचयी हसिसा कुल सीटों में से 50% का उल्लंघन न करे ।

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ओबीसी के अनुभवजन्य डेटा के लिये समर्पित आयोग की नयिकृती की और 50% आरक्षण की सीमा को पार किये बनिा स्थानीय नकियायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के लिये एक अध्यादेश भी जारी कया ।
- हालीक शीरष अदालत ने दसिंबर 2021 में यह कहते हुए रोक लगा दी कइसे अनुभवजन्य डेटा के बनिा लागू नहीं कया जा सकता है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव कराने को कहा है ।

■ दलील:

- महाराष्टर सरकार ने दावा कया क शीरष अदालत द्वारा दयि गए दसिंबर के आदेश के दो प्रतकूल प्रभाव होंगे ।
- ओबीसी से संबंधित वयकृत लोकतांत्रिक प्रकरयिा के माध्यम से नरिवाचति पदों पर चुने जाने के अवसर से वंचति होंगे, जो न केवल ओबीसी समुदाय के नवासियों की आकांक्षाओं को पूरा बलक अनय सभी समुदायों के वकिस में मदद करते थे ।
- ओबीसी का अपर्याप्त प्रतनिधित्व या गैर-प्रतनिधित्व संवैधानिक योजना के उददेश्य व मंशा के बलिकूल वपिरीत है ।
- राज्य ने यह भी दावा कया क उसने पहले ही एक आयोग नयिकृत करके और डेटा एकत्र करके तीन परीक्षण दशा नरिदेशों में से दो का पालन कया था ।
- महाराष्टर के कुछ ज़िलों में आरक्षण ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात पर आधारति है और पूरे महाराष्टर राज्य के सभी ज़िलों में 27% का समग्र आरक्षण नहीं है ।
- स्थानीय नकियायों में 27% ओबीसी कोटा को सही ठहराने हेतु एक मध्यवर्ती उपाय के रूप में राज्य ने एक नमूना सर्वेक्षण का उल्लेख कया जसमें कहा गया क नमूना आकार में ओबीसी का वतिरण 48.6% पाया गया था ।

■ सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्टर सरकार को 'महाराष्टर राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग' (MSCBC) द्वारा ओबीसी डेटा की जाँच करने और स्थानीय नकियायों के चुनावों में उनके प्रतनिधित्व पर सफारिशें करने का नरिदेश दया ।

■ नहितिार्थ:

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आगामी स्थानीय नकियाय चुनावों में OBC कोटा बहाल करने की संभावना को बढ़ा दया है ।
- सरकारी आँकड़ों में राज्य के ग्रामीण वकिस वभाग और शहरी वकिस वभाग के गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य व शकिस क्षेत्रों हेतु स्थानीय नकियायों द्वारा वभिनिन सर्वेक्षण शामिल हैं ।
- सरकार पूर्व पछिड़ा वर्ग आयोग के आँकड़ों और वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का भी हवाला दे सकती है ।
- सरकार को MSCBC और राज्य चुनाव आयोग के साथ उचति समन्वय सुनश्चिति करना होगा और स्थानीय नकियायों में ओबीसी कोटा बहाल करने हेतु मलिकर कार्य करना चाहयि ।

वर्ष 2010 का नरिणय

- के. कृष्णमूरत बिनार भारत संघ वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की थी, जो कानून के अधनियमन द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर नकियायों में पछिड़े वर्गों के लयि आरक्षण की अनुमतति देते हैं । इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था क राजनीतिक भागीदारी की बाधाएँ, शकिस एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमति करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं ।
- समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा क उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनवारय है जो क आरक्षण के लयि एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबक अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शकिस व रोज़गार में आरक्षण की परकिल्पना की गई है ।
- यद्यपि स्थानीय नकियायों को आरक्षण की अनुमतति है, कतिु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषति कया क यह आरक्षण स्थानीय नकियायों के संबंध में पछिड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है ।

स्रोत: द हट्टू